सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। दिनांक 06.07.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-';

राज्यपाल के आदेश से,
शुभम चौधरी,
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 6 जुलाई, 2017

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 12 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 12 में,-

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":"
प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

(।।) अन्त में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु खनिज बजरी (नदी बालू) के मामले में क्षेत्र की पहचान और सीमांकन खसरा-वार किया जायेगा।"

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप-2/2015-पार्ट-।।]

राज्यपाल के आदेश से,

नसीरूद्दीन कुरेशी,

वरिष्ठ शासन उप सचिव

Government Central Press, Jaipur.